Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

लूणाराम —बनाम— गणेशाराम आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किस्म मुकदमा :—53, 188 आरटीए   न0 33/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/05/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप कतरियासर पर पेश हुई। राज्य प्रतिवादी की ओर से उपस्थित तहसीलदार ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण मे वादी ने विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में किये जाने का कथन वाद–पत्र में किया है और यह कथन लिखित कथन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने प्रकथन किये है। ऐसी स्थिति में पत्रावली जो वाद बिन्दु के विरचना के स्तर पर चली आ रहा है। विवाधक स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। पक्षकारों को शिविरों के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए और न्याय को ध्यान में रखते हुए हालांकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 कैंप में हाजिर नहीं आये है, लेकिन उनके द्वारा किये गये अभिवचनों से उनके मध्य आपसी सहमति है, क्योंकि दोनों पक्ष ही विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में चाहते हैं। अतः विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर प्रस्ताव मांग लिये जावे। तहसीलदार के इस कथन को ध्यान में रखते हुवे पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। संवत् 2067 से 2070 तक की ग्राम कतरियासर की जमांबदी की प्रति पत्रावली पर पेश हुई है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 15, 84, 556, 608, 893, 898 व 1395/899 की कुल 25.63 हैक्टर कृषि भूमि लूणाराम वादी व गणेशाराम, धूड़ाराम बीरबलराम व मोहनी, नानू, सोना व कम्मा प्रतिवादीगण पुत्रगण पुत्रियां रामचन्द्र बहिब के संयुक्त खातेदारी काश्तकार में अंकित हैं। हिस्सेदार धूड़ाराम की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके वारिसान उसकी पत्नी गोमती व पुत्रगण हरिराम राधकिसन संजू प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 रिकार्ड में उसके स्थान पर आ चुके	

उप खण्ड अधिकारी (उनख) बीकानेर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हैं। प्रत्येक का 1/8 हिस्सा विवादित भूमि में है, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है। अतः विभाजन की प्राथमिक डिक्री पक्षकारान के मध्य दिये जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं हैं। तहसीलदार, बीकानेर लैण्ड होल्डर है, जिनकी केसंट पत्रावली पर आ चकी है।

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राथमिक डिकी विभाजन स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, बीकानेर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा ग्राम कतरियासर की संवत् 2067 से 2070 तक की जमाबंदी में अंकित भूमि उनके हिस्से के अनुसार विभाजित बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में कर इस आशय के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे। निर्णय व डिकी की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ भिजवायी जावे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली कतई डिक्री जारी करने की कार्यवाही में प्रस्तुत की जावे।

आदेश आज दिनांक 29/05/18 को कैंप कतरियासर मजमे आम में सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner